



2026:AHC:126445

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 17857 / 2026

निगार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: रवि शंकर त्रिपाठी

विपक्षी के अधिवक्ता

: सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक निगार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 01 / 2026, अंतर्गत धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना- अलापुर, जिला- बदायूँ में विचारण के लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि गैंग चार्ट के अनुसार आवेदक को एक आपराधिक मामले में संलिप्त होना कहा गया है, जिसमें उसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है और इस तथ्य को शपथपत्र के पैरा संख्या 9 में स्पष्ट किया गया है। उसे पुलिस प्रतिद्वंद्विता के कारण वर्तमान मामले में झूठा फसाया गया है। आवेदक किसी भी गैंग का सदस्य नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह प्रस्तुत किया कि समान भूमिका वाले सह-अभियुक्त कैस मोहम्मद को इस न्यायालय की एक समकक्षी पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 8826 / 2026 में पारित आदेश दिनांक 30.03.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, इसलिए आवेदक भी समानता के आधार पर जमानत का हकदार है। वह दिनांक 26.02.2026 से जेल में निरुद्ध है और जमानत पर मुक्त किए जाने की स्थिति में वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, परंतु वे इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि समान भूमिका वाले सह-अभियुक्त को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।
5. पक्षकारों के उपरोक्त तर्कों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश पर विचार करने के उपरांत तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपरोक्त अपराध में संलिप्त आवेदक को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:—

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को डराएगा-धमकाएगा।

(ii) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार आदेश पारित करे।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या न्यायालय के निर्देशानुसार उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए / 269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iv) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुरक्षित करने के लिए धारा 82 सीआर.पी.सी. / 84 बी.एन.एस.एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए / 209 बी.एन.एस. के तहत कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा।

(v) आवेदक (i) वाद के उद्घाटन, (ii) आरोप विरचन और (iii) धारा 313 सीआर.पी.सी. / 351 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत कथन दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला होगा कि वह ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही करे।

6. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्तीकरण का एक आधार होगा।

7. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभुओं की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

9 जून, 2026

जीएसएस

(संजीव कुमार, जे.)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"